राज्य शहरी आजीविका मिषन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail-nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांकः– 921 /241/NULM/तीन/2001(SUH) Vol-V दिनांक 25/10/2018

सेवा में,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण/समयबद्ध/अति महत्वपूर्ण

निदेशक
मण्डी परिषद, किसान मण्डी भवन
विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ।

विषयः–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.10.2017, 08.11.2017 एवं 10.01.2018 के अनुपालन में जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में पाये गये शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों को अधिकार के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) सं0 55/2003 सम्बद्ध रिट याचिका (सिविल) सं0 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत गणराज्य व अन्य विचाराधीन है, जिसमें शहरी बेघरों के लिए समुचित संख्या में अपेक्षित सेवाओं और सुविधाओं से युक्त सभी मौसम के लिए स्थायी आश्रय गृह उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। केन्द्र पुरोनिधानित योजना दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के अन्तर्गत शेल्टर होम के निर्माण का प्राविधान है।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत विगत में आयोजित गवर्निंग कौंसिल की बैठक में कौंसिल के अध्यक्ष मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा निर्देश दिये गये है कि सभी जिला मुख्यालय एवं 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों में शहरी बेघरों हेतु तत्काल शेल्टर होम की व्यवस्था की जाये।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण पर सुनवाई करते हुए विगत दिनांक 13.10.2017, 08.11.17 23. 11.2017, 13.12.2017 एवं 10.01.2018 को जनगणना 2011 के अनुसार पाये गये शहरी बेघरों की संख्या के अनुपात में आश्रय गृह उपलब्ध न करा पाने की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी है तथा प्रदेश सरकार से विस्तृत सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई हैं तथा अन्तरिम आदेश दिये गये हैं कि राज्य सरकार द्वारा शेल्टर होम निर्माण हेतु भूमि/भवन को चिन्हित कर मा0 उच्चतम न्यायालय को अगली नियत तिथि 08.02.2018 को अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाय।

मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में 50 शहरी बेघरों हेतु न्यूनतम 400 से 500 वर्गमीटर एवं 100 शहरी बेघरों के आश्रय (क्षमता) हेतु शेल्टर निर्माण किये जाने के लिए न्यूनतम 800 से 1000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है। प्रदेश की मण्डियों में काफी संख्या में शहरी बेघर दैनिक कार्यों, मजदूरी आदि हेतु आते हैं, जहां उन्हें रात्रि निवास हेतु आश्रय की आवश्यकता होती है, जिसके दृष्टिगत मण्डियों में आश्रय गृह का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रदेश की समस्त मण्डी परिषद में शेल्टर होम के निर्माण हेतु भूमि का चिन्हांकन कराकर संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 31.01.2018 तक भूमि चिन्हांकन की सूचना इस कार्यालय को ई–मेल **suhnulmup@gmail.com** एवं **nulmup@gmail.com** के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें, ताकि मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा सके। कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, कृषि एवं कृषि विपणन, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उ0प्र0।
4. समस्त सी0पी0ओ0/परियोजना निदेशक, सी0एम0एम0यू0, डूडा, उ0प्र0।
5. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा उ0प्र0।
6. वेबमास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक

मण्डी परिषद द्वारा चिन्हित भूमि हेतु प्रारूप

जनपद का नामः..... नगर निकाय का नामः .....

मण्डी परिषद का नाम व पता .....

सम्पर्क व्यक्ति का नाम ..... पदनाम .....

मोबाइल नम्बर .....

भूमि का चिन्हांकन				टिप्पणी
क्र0 सं0	चिन्हित भूमि का लोकेशन	क्षेत्रफल वर्गमी0 में	चिन्हित भूमि का गाटा सं0 एवं मानचित्र एवं आवंटन पत्र का विवरण	
1	2	3	4	5

(आवश्यकतानुसार लाईने बढायी जा सकती है)

दिनांक

मण्डी परिषद के प्रभारी अधिकारी का नाम,
पदनाम एवं हस्ताक्षर मोहर सहित